दिनांक 21.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 27/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस–2023 सीधी भर्ती के पदो पर आयोजित होने वाली परीक्षा के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक–112 एवं समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस–2023 सीधी भर्ती के पदों पर दिनांक 23, 24, 25 एवं 30 व 31 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

- परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के आवागमन मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील करा लिया जाये। नये सीसीटीवी कैमरे भी पर्याप्त संख्या में अधिष्ठाापित कराये जायें। यथावश्यक चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ड्रोन कैमरों से चेकिंग कराई जाये।
- उक्त परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर परीक्षा केन्द्रों का स्वयं एवं प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के साथ स्थलीय भ्रमण करके परीक्षा केन्द्रों पर सम्भावित भीड़ तथा आगणित परिस्थितियों के अनुरूप अपेक्षित संसाधनों पर समय रहते विचारण कर लिया जाए तथा आवश्यकतानुरूप समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावी कार्यवाही की जाए।
- शिक्षा विभाग व परीक्षा केन्द्रों के प्रबंधकों तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सतर्कता, तत्परता तथा संचरण योजना एवं कन्टिनजेन्सी प्लान हेतु कार्ययोजना के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- परीक्षा के दो दिन पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों व अभिभावकों के जनपद से प्रस्थान तक की स्थिति का समुचित आंकलन कर तदनुसार प्रभावी पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किया जाये।
- परीक्षा केन्द्रों तथा रेलवे मेट्रो स्टेशन एवं बस/टैक्सी स्टैण्ड तथा होटल/रेस्टोरेन्ट पर भीड़ प्रबन्धन हेतु कार्ययोजना बनाकर व्यवस्थापन किया जाये तथा वहां के संचालकों, प्रबंधकों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से पूर्व से वार्ता कर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- राजपत्रित अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट की संयुक्त रूप से ड्यिूटी लगायी जाये तथा पुलिस बल की अधिक से अधिक Visibility सुनिश्चित की जाये।
- जिन थाना क्षेत्रों में परीक्षा केन्द्र बनाये गये है वहॉ यूपी–112 पीआरवी के वाहनो के चार्ट में परीक्षा केन्द्र के आस–पास के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों को भी आवश्य सम्मिलित किया जाये।
- उक्त परीक्षा के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करते हुए अभिसूचना विभाग, एसटीएफ तथा जनपदीय पुलिस द्वारा परस्पर उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित कर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाये।
- परीक्षा केन्द्रो के आस–पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, आई0टी0 गैजेट्स एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने के सम्बन्ध में दिये गये गाइड लाइन का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराया जाये।
- परीक्षा केन्द्रों के प्रवेश स्थलों पर अभ्यर्थियों की तलाशी में सहयोग हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी (महिला/पुरुष कर्मी) तैनात किये जाए।
- परीक्षा केन्द्रों के आस–पास स्थित फोटो कापी मशीन की दुकानों/साइबर कैफे/मोटरसाइकिल स्टैण्ड आदि के आस–पास प्रभावी चेकिंग की जाये।
- परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने एवं उत्तर पुस्तिकाओं को कोषागार तक पहुंचाने हेतु जनपदीय पुलिस नोडल अधिकारी/आब्जर्वर के सघन पर्यवेक्षण में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- उक्त परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी परीक्षा हेतु आवागमन करेंगे, जिसके दृष्टिगत रेलवे/राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करायी जाये।
- जिन जनपदों में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये गये हैं उन जनपदो में भी विशेष सतर्कता रखते हुए यातायात व अन्य आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करायी जाये।
- जनपद/कमिश्नरेट में स्थित नियंत्रण कक्ष को और अधिक सक्रिय कर दिया जाये तथा परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी लाभप्रद सूचना/घटना से इस मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाए। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु अस्पताल चिन्हित कर लिये जाये। इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करा ली जाये।
- सोशल मीडिया सेल व जनपदीय अभिसूचना तंत्र को और अधिक सकिय व सतर्क कर दिया जाय तथा परीक्षा से सम्बन्धित समस्त अफवाहों व अन्य सोशल मीडिया पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर अपेक्षित विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

दिनांक 21.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 28/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 21.08.2024 को थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–हाशिम 2–अफशरून को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हाशिम निवासी रतौध उर्फ रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2–अफशरून निवासी रतौध उर्फ रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।

जनपद फतेहपुर/थाना गाजीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 20.08.2024 को थाना गाजीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इन्द्रो पुलिया से असोथर जाने वाली नहर पटरी ग्राम चक काजीपुर

के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सैफउल्ला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष पर चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सैफउल्ला निवासी शोहदमऊ थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद मथुरा/थाना फरह</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये चॉदी के आभूषण**
- **03 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.08.2024 को थाना फरह व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परखम ओल मार्ग से नगला जट्टा जाने वाले रास्ते पर पुलिस

कार्यवाही में 03 अभियुक्त 1–बलजीत 2–ललित 3–चेतन घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये चॉदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना फरह क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त बलजीत के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फरह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बलजीत निवासी समसपुर थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा।

2–ललित निवासी ग्राम बाटी थाना जैत जनपद मथुरा।

3–चेतन निवासी ग्राम बाटी थाना जैत जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूटे गये चॉदी के आभूषण।

2–03 मोबाइल फोन।

3–नगद रूपये।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद प्रतापगढ़/थाना लालगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, कैमरा, घड़ी**
- **21 हजार 580 रूपये नगद**
- **पैन कार्ड, आधार कार्ड, डी0एल0**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 20.08.2024 की रात्रि थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरगदवा बाबा स्थान के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रकाश उर्फ जे0पी0 उर्फ राम जियावन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, कैमरा, घड़ी, 21 हजार 580 रूपये नगद, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डी0एल0, चोरी करने के उपकरण, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अमेठी, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रकाश उर्फ जे0पी0 उर्फ राम जियावन निवासी मुसाफिरखाना रोड वार्ड संख्या' 24 कटरा लालगंज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, कैमरा, घड़ी।

2—21 हजार 580 रूपये नगद।

3—पैन कार्ड, आधार कार्ड, डी0एल0।

4—चोरी करने के उपकरण।

5—01 मोटर साइकिल।

6—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद आजमगढ/थाना अहरौला

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.08.2024 को थाना अहरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पश्चिम पट्टी—दुर्वासा मार्ग के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अमित निवासी अमगिलिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 मोटर साइकिल, 01 मोटर साइकिल का इंजन, 01 ई–रिक्शा बरामद**

दिनॉकः 21.08.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुगर मिल के पास से 02 अभियुक्तों 1–लवकुश 2–शिवांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल, 01 मोटर साइकिल का इंजन, 01 ई–रिक्शा बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–लवकुश निवासी डडियामऊ सआदतगंज थाना मसौली जनपद बाराबंकी।

2–शिवांशु निवासी बिन्दौरा परसपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 04 मोटर साइकिल, 01 मोटर साइकिल का इंजन, 01 ई–रिक्शा।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना मंडी धनौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना मंडी धनौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नौशाद को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुल्तानपुर/थाना जयसिंहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुल्तानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुल्तानपुर द्वारा थाना जयसिंहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अखिलेश 2–राहुल को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना जहांगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहऱ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहऱ द्वारा थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/376/506 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————